State Project Management Unit
(Uttarakhand Women and Child Development Society)
Department of Women Empowerment and Child Development
Suddhowala, Near Nanda Ki Chowki, Chakrata Road
Dehradun Phone: 0135- 2775713,Tele Fax 0135-2775992

पत्रांक 858 / 197 / 2018–19 दिनांक: 08 / 02 / 2019

विज्ञप्ति

(नियत वेतन पर कार्मिकों के चयन सम्बन्धी)

राज्य स्तरीय निर्भया प्रकोष्ठ हेतु शासनादेश संख्या 1616/XVII(4)/2018-5(24)2013, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के अनुसार नियत मानदेय पर सृजित अस्थायी पदों के लिए निम्न तालिका में दी गई अर्हताओं को पूर्ण करने वाले महिला कार्मिकों की आवश्यकता है–

S. No	Name of Post	No. of Post	Monthly Remuneration	Maximum Age (Yrs.)	Minimum Experience	Educational Qualification
राज्य स्तरीय निर्भया प्रकोष्ठ						
1.	वरिष्ठ महिला अधिवक्ता	01	30,000/–	28–45	फौजदारी मामलों में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	1.विधि में स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि। 2.उत्तराखण्ड बार कॉउसिलंग का सदस्य। 3.महिला के अधिकारों से सम्बन्धित विधि का ज्ञान। 4.राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बन्धित नियमों/अधिनियमों की जानकारी।
2.	महिला एम.आई.एस./ कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	15,000/–	28–50	05 वर्ष का अनुभव	1.समाजकार्य/समाजशास्त्र/मनो–विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। 2.कम्प्यूटर एपलिकेशन में 01 वर्ष का एडवांस डिप्लोमा।

नोटः उपरोक्त पदों के लिये आवेदक को महिला मुद्दों, सरकारी नीतियों,कार्यक्रमों एवं कम्प्यूटर (एम0एस0 ऑफिस) की जानकारी होनी चाहिए।

उक्त पदों हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र विभागीय निर्धारित प्रारूप पर अपने समस्त शैक्षिक योग्यताओं, आयु एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पत्राचार का पता एवं दूरभाष नम्बर स्पष्ट रूप में अंकित कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, (UWCDS), निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून पिन कोड–248001 पर दिनांक 23/02/2019 अपराह्न 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय website: www.wecd.uk.gov.in से download किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त चयन से सम्बन्धित समस्त अधिकार चयन समिति के पास निहित रहेंगे।

निदेशक/उपाध्यक्ष (UWCDS),
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग